

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 11-पीबीआर/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 23-12-14 पारित
द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक
26/अप्रैल/11-12.

- 1— श्रीमती कृष्णादेवी पत्नी स्व. श्री रत्नलाल शर्मा
 2— सुदर्शन शर्मा आत्मज स्व. श्री रत्नलाल शर्मा
 3— अरविन्द शर्मा आत्मज स्व. श्री रत्नलाल शर्मा
 निवासीगण ग्राम भौंरी
 तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....आवेदकगण

विरुद्ध

श्रीमती आशा देवी पत्नी सतीश
 पुत्री स्व. श्री जमनाप्रसाद
 निवासी मकान नं. 8,
 सुरेन्द्र मेडिकल के सामने, सुठालिया
 तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़

.....अनावेदिका

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण
 श्री रत्नाकर दीक्षित, अभिषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक १२/१/१६ को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में
 संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला
 भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-12-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल
 के आदेश दिनांक 9-11-2011 के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी तहसील
 हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक

26/अप्रैल/11-12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23-12-14 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए प्रकरण उभय पक्ष के साक्ष्य हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) तहसील न्यायालय के समक्ष हुई साक्ष्य में वास्तविक तथ्य एवं अभिलेख नहीं आ पाये हैं इसलिये आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जिसे रिकार्ड पर लेने हेतु आदेश राजस्व मण्डल द्वारा दिया गया था जिसके आधार पर प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाला खसरा अभिलेख वर्ष 1948 लगायत 1954 जो उर्दू में हैं, उसका हिन्दी रूपांतरण सहित प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गई थीं। उक्त खसरों में आये तथ्यों को उजागर करने हेतु अपने वादोत्तर में संशोधन किया जाना आवश्यक था ताकि प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन के निराकरण के पूर्व उभयपक्षों की साक्ष्य भी अंकित कराई गई। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) वादग्रस्त भूमि को अनावेदिका हमेशा ही खुर्द-बुर्द करने के लिये प्रयासरत रहती है ताकि आवेदकगण को क्षति पहँचा सके। राजस्व मण्डल द्वारा जारी स्थगन आदेश अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित अपील के अंतिम निराकरण तक जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-12-2014 निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानियाँ

निरस्त हो चुकी हैं। यह भी कहा गया कि आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का निराकरण नहीं होने देने के उद्देश्य से बार-बार इस न्यायालय में निगरानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुख्यतः इस निष्कर्ष के साथ आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है कि आवेदकगण जिन तथ्यों का समावेश कराना चाहते हैं, उन्हें वे अंतिम बहस के समय प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से उत्तर प्रस्तुत करते समय उसके पास सम्पूर्ण खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ नहीं थी, इसलिये कुछ तथ्य अपने जबाब में लिखने से छुट गये हैं, जिसके संबंध में एक आवेदन आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था, जिसमें संलग्न दस्तावेजों को रिकार्ड में लेने हेतु आवेदन स्वीकार कर दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया गया। जिसके आधार पर वर्ष 1948 से 1954 के खसरे प्रस्तुत किये हैं जिनका हिन्दी रूपान्तरण वर्ष 1948 से 50 तक की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की हैं, जिसके आधार पर आवेदक को पुराने अभिलेखों की जानकारी हुयी, जिसे वह अपने जबाब में जोड़ना चाहता है। इसी के अनुक्रम में आवेदक ने आदेश 6 नियम 17 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक सरसरी आदेश पारित कर प्रकरण पुराना होने मात्र से एवं कार्यवाही को विलम्बित करने का आधार मानकर आवेदन पत्र निरस्त किया है, जबकि एम. पी. वीकली नोट 2012 (सु.को), ए.आई.आर 2004 (सु.को) ए.आई.आर 2007 (सु.को), ए.आई.आर 2008 (सु.को) में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित संशोधन में किये गये अभिवचन के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य करायी जाना संभव हो सकेगी। जिससे न्यायालय को प्रकरण के निराकरण के लिये तथ्यों के संबंध में सहूलियत होगी। ऐसी स्थिति में अनावेदिका की ओर से यह कहा जाना कि अपील प्रक्रम पर संशोधन हेतु आवेदन मुकदमेबाजी लम्बी करने का असद्भावपूर्ण उद्देश्य है, इसलिये आवेदन खारिज किया जाना चाहिये, इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न होने

से मान्य किये जाने योग्य नहीं है। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजुर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार हुजुर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2014 त्रुटि पूर्ण एवं विधिवत् नहीं होने से निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष विचाराधीन अपील प्रकरण क्रमांक 26/2011-12 में विवादित भूमि के क्रय विक्रय की कार्यवाही अगामी तीन माह तक के लिये स्थगित रखते हुये प्रकरण का निराकरण यथा शीघ्र करें।

7/ यह आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 4225-पीबीआर/14 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
गवालियर